

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :-

सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या :-

21/24 प्रार्थना पत्र

उनवान

मुताबतया पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी रामगढ पचवारा तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।

-(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. कैलाश } पि0 रामसहाय समस्त जाति मीना निवासी रामगढ पचवारा, तह0
3. गोपीलाल } रामगढ पचवारा जिला दौस - (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति:- 1. श्री अरुण कुमार गौड अधिवक्ता-(प्रार्थी)


प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय

दिनांक:-05.06.2024

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 1221/577 रकबा 0.1265 है0, ख0नं0 1229/599 रकबा 0.4173 है, ख0नं0 1233/59 रकबा 0.2023 है0, ख0नं0 1234/599 रकबा 0.0506 है0, ख0नं0 1241/599 रकबा 0.0506 कुल किता-5 कुल रकबा 0.8473 है0 भूमि वाकै ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी सं 2 व 3 उपस्थिति नही आए। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024/678 पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी ख0नं0 1221/577 रकबा 0.1265 है0, ख0नं0 1229/599 रकबा 0.4173 है, ख0नं0 1233/59 रकबा 0.2023 है0, ख0नं0 1234/599 रकबा 0.0506 है0, ख0नं0 1241/599 रकबा 0.0506 कुल



उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

किता-5 कुल रकबा 0.8473 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम मर्यादात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थी ख0नं0 1221/577 रकबा 0.1265 है0, ख0नं0 1229/599 रकबा 0.4173 है, ख0नं0 1233/59 रकबा 0.2023 है0, ख0नं0 1234/599 रकबा 0.0506 है0, ख0नं0 1241/599 रकबा 0.0506 कुल किता-5 कुल रकबा 0.8473 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1221/577 रकबा 0.1265 है0, ख0नं0 1229/599 रकबा 0.4173 है, ख0नं0 1233/59 रकबा 0.2023 है0, ख0नं0 1234/599 रकबा 0.0506 है0, ख0नं0 1241/599 रकबा 0.0506 कुल किता-5 कुल रकबा 0.8473 है0 वाके ग्राम रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।


05/06/24
वर्षा मीना(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।